न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 68/2025 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2025/ 71)

हेतराम पुत्र मोटाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. रूकमणी पुत्री बालू जाति जांगिड़ (ब्राहमण) पत्नि रिधुराम साकिन भोलूसर हाल रिडखला पोस्ट ऑफिस सोमासी तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. संतोष पुत्री मोटाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू पत्नि मदनलाल हाल साकिन पोस्ट ऑफिस रूपलीसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. मणी पुत्री मोटाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू पत्नि मोहनलाल साकिन हाल वार्ड नं. 29 जेसराज पिपलवां स्कूल के पास, नया बास, सुजानगढ जिला चूरू।
4. हुक्माराम पुत्र बालू जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
5. शंकरलाल पुत्र बुधाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
6. रामलाल पुत्र बुधाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
7. रामी पुत्र बुधाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
8. इन्द्रा पुत्र बुधाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
9. गौरा पुत्र बुधाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
10. सीताराम पुत्र बुधाराम जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
11. भंवरलाल पुत्र किशनी पुत्री बालू जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
12. चेतराम पुत्र किशनी पुत्री बालू जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
13. राजू पुत्र किशनी पुत्री बालू जाति जांगिड़ (ब्राहमण) साकिन भोलूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय **दिनांक: 12.11.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर (चूरू) के निर्णय दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट हेतराम ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर (चूरू) के राजस्व अपील संख्या 06/2017 अनवान रूकमणी बनाम (मोटाराम मृतक), हेतराम वगैरह के निर्णय दिनांक 07.01.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 07.01.2025 को निरस्त कर पूर्व में दर्ज इन्तकाल संख्या 92 दिनांक 07.06.1980 ग्राम पंचायत जयसंगसर को यथावत रखा जाने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 13 के निमित साधारण नोटिस एवं रजिस्ट्र्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि भूमि वाके खसरा नं. 12 तादादी 9 बीधा 2 बिस्वा, खसरा नं. 52 तादादी 33 बीधा 11 बिस्वा, खसरा नं. 53/1 तादादी 8 बीधा 12 बिस्वा व खसरा नं. 54 तादादी 2 बीधा 14 बिस्वा, खसरा नं. 68 तादादी 15 बीधा 16 बिस्वा, खसरा नं. 217 तादादी 27 बीधा 2 बिस्वा, खसरा नं. 219 तादादी 10 बीधा 18 बिस्वा, कुल तादादी 107 बीधा 15 बिस्वा भूमि रोही भोलूसर में बालू पुत्र जैसाराम के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त भूमि पैतृक भूमि थी। बालूराम के देहान्त के पश्चात ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्ण जांच कर वारिस प्रमाण पत्र का अवलोकन कर व कुर्सीनामा को देखकर विरासतन नामान्तरकरण सं. 92 दिनांक 07.06.1980 को ग्राम पंचायत जयसंगसर द्वारा दर्ज कर दिया था। पैतृक भूमि में पुत्रियो का कानूनी तौर पर कोई हक इन्तकाल के समय नही था ना ही पिता के देहान्त के पश्चात् जिनके नाम इन्तकाल दर्ज हुआ है भूमि पर उन्ही का कब्जा काश्त बदस्तूर रहा।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त इन्तकाल के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर प्रथम अपील पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को तय किये बिना ही अपील गलत निस्तारण कर दिया जो खिलाफ कानून है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रथम अपील मे अपील पेश करने की अनुमति हेतु सैक्शन 96 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र ही पेश नही किया गया था। प्रथम अपील स्पष्टतया इनकम्पीटेंट थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर गलती की है तथा मियाद के बिन्दु हेतु दफा –5 का प्रार्थना पत्र भी वेग पेश किया गया था, अधीनस्थ न्यायालय में 37 वर्ष बाद अपील पेश की गई थी, प्रार्थना पत्र दफा –5 में कोनसी तारीख को जानकारी हुई तथा किसके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कुछ भी अंकित नही किया गया है। पैतृक भूमि थी, वर्ष 1980 में बेटियो का उक्त भूमि पर हक नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर कानून को ताकपर रखकर बिना तथ्यो का अवलोकन किए, बिना रिकार्ड तलब किये निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अगर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त भूमि में बतौर वारिस कोई हक है तो उसे सिविल न्यायालय से अपने हक तय करवाने चाहिए थे। अपील पूर्ण कोर्ट फीस पर व जानकारी के दिन से दफा–5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणो से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.01.2025 निरस्त फरमावें व पूर्व में दर्ज इन्तकाल संख्या 92 दिनांक 07.06.1980 ग्राम पंचायत जयसंगसर यथावत रखा जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1984 पृष्ठ 261, RRD 1999 पृष्ठ 98, RBJ (28) 2021, RRD 2011 पृष्ठ 786, RRD 1994 पृष्ठ 276, RRD 2005 पृष्ठ 717, RRD 2006 पृष्ठ 131, RRD 1993, पृष्ठ 232, RRD 1993, पृष्ठ 45, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील सहायक कलक्टर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सरदारशहर के निर्णय दिनांक 07.01.2025 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 07.04.2025 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उक्त निर्णय की जानकारी उसे दिनांक 03.04.2025 को हुई । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से पाया है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सरदारशहर द्वारा इन्तकाल संख्या 92 दिनांक 07.06.1980 के विरूद्व प्रस्तुत अपील में मियाद के बिन्दू को तैय किये बिना निर्णय दिनांक 07.01.2025 पारित कर दिया जो अपूर्ण निर्णय है। प्रकरण में लगभग 37 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील में मियाद पर पहले निर्णय पारित कर फिर मेरिट पर निर्णय पारित करना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में पहले मियाद के बिन्दु को तैय कर उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर